न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 166 / 2024

1. गोट्या पत्नी काना जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.
2. भोली पत्नी तेजू जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
3. मनफूल पत्नी रामदेव जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.
4. राजादेवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1. नन्दू पत्नी राजू लाल जाति जाट निवासी ग्राम बरना हाल निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
2. सोनिया चौधरी पुत्री गोपाल चौधरी, पत्नी श्री मुकेश जाति जाट निवासी सान्दोलिया, हाल निवासी बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
3. बोदूराम चांगल पुत्र रामधन जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
4. भोली देवी पत्नी किस्तूरा जाति जाट, ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
5. मथरा पुत्री तेजू पत्नी सुमेर, जाति जाट, ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज. हाल निवासी सील तहसील अरांई जिला अजमेर राज.
6. रतन लाल पुत्र किस्तूरा जाति जाट, ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.
7. लाडा देवी पत्नी तेजू जाति जाट, ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज
8. संतरा पुत्री तेजू पत्नी प्रताप जाति जाट, ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज. हाल निवासी सील तहसील अरांई जिला अजमेर राज.
9. मंदिर श्री सीताराम जी महाराज जरिये पुजारी उत्तमचन्द पुत्र श्री मस्तराम जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम काढा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ जिला अजमेर
11. अर्जुन सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति बारेठ निवासी ग्राम काढा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज
12. उमा कंवर पत्नी रघुवीर सिंह जाति बारेठ निवासी ग्राम काढा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
13. कर्ण सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति बारेठ निवासी ग्राम काढा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
14. कालू पुत्र हरजी जाति जाट निवासी बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
15. देवी सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति बारेठ निवासी ग्राम काढा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
16. नारायण सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति बारेठ निवासी ग्राम काढा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रेम पत्नी प्रभुलाल जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.

. पांची पत्नी नारायण जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज.

19. मोडू पुत्र छोगा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 16/1/2025

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री डी.सी.सेठी एवं महावीर मालाकार
वकील अप्रार्थी श्रीविजय पोषक

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री डी.सी. सेठी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो बाद जांच रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम काढा स्थित कृषि भूमि के खसरा संख्या 178 रकबा 17.6362 हैक्टेयर स्थित है जिसके प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 11 से 19 सहखातेदार काश्तकार व ग्राम काढा स्थित कृषि भूमि के खसरा संख्या 177 रकबा 0.0485 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह जिस पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण खातेदार एवं कब्जेदार है जिसके प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 11 व 13 व 15 से 19 खातेदार काश्तकार है। ग्राम काढा स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 179 जिसके रकबा 5.8653 हेक्टेयर स्थित है जिसके अप्रार्थी संख्या 1 से 8 खातेदार काश्तकार है। ग्राम काढा स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 180 रकबा 5.6630 हेक्टेयर स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 9 के नाम खातेदारी मे दर्ज है तथा जिसके पुजारी अप्रार्थी संख्या 9 है। प्रार्थीगण ने एक नजरी नक्शा पेश किया है जो प्रार्थना पत्र का भाग है तथा प्रार्थना पत्र का भाग समझकर पढ़ा जावे। इस नक्शे में दर्शित ए से बी नया रास्ता जो खसरा संख्या 179 के सींव से नाले के पास होते हुए 18 फीट चौडा नया रास्ता चाहा है इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे से आने जाने के लिये खसरा संख्या 299 गैर मुमकिन रास्ते से होकर आने जाने के लिये कोई वेकल्पिक रास्ता नही है तथा यह रास्ता सुगम है यह रास्ता रिकोर्डेड नही होने के कारण प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि मे 178 व 177 किस्म कुआ में आने जाने कृषि विकास कार्य एवं प्रार्थीगण के गाय भैंसो के लिये चारा नहीं ले जाया जा रहा है जिससे उक्त गाय भैंस भूखे मर रहे है एवं प्रार्थीगण को बडी गम्भीर समस्या का सामना करना पड रहा है तथा प्रार्थीया को अपनी भूमि व कुआं में काश्त करने हेतु आने–जाने के व कृषि विकास हेतु प्रार्थिया रास्ता खसरा नम्बर 299 रास्ते पक्की सडक से होते हुए अपनी भूमि में आने जाने के लिये नया रास्ता नही है जिससे प्रार्थीगण को कृषि कार्य करने मे काफी समस्याओ का सामना करना पड रहा है तथा प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 299 गै.मु.रास्ता से खसरा संख्या 179 की सींव व नाले के पास रास्ता जो नजरी नक्शे मे ए. से बी. है। वर्तमान युग मे मशीनरी युग है तथा कृषि विकास एवं उपज हेतु ट्रेक्टर व अन्य साधानो की आवश्यकता होती है उक्त साधनो के लाने ले जाने आने जाने के लिये प्रार्थीगण को कृर्षि काय में बाधा हो रही है उपज नहीं हो रही है। प्रार्थीगण को आने जाने के लिये व कृषि संसाधनो को आने जाने के लिये 18 फीट के रास्ते की आवश्यकता है तथा प्रार्थीगण को अपनी भूमि में आने जाने के लिये नया रास्ता खसरा संख्या 299 से खसरा संख्या 179 के सींव के नाले के पास मे से निकटतम सुगम रास्ता है जिसमे से प्रार्थीगण खसरा संख्या 179 में से 18 फीट रिकोर्डेड रास्ता चाहा है। प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

178 व 177 गै.मु.चाह मे आने जाने के लिये नया सुगम रास्ता प्रस्तावित तौर पर खसरा नं. 299 गै. मु.रास्ते से होते हुए खसरा संख्या 180 की सींव मे नाले के पास जो नजरी नक्शे मे सी से डी 18 फीट चौडा रास्ता प्रार्थीगण को प्रस्तावित तौर पर नया रिकोर्डेड रास्ता चाहते है तथा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। दिनांक 08/07/2024 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के पास रिकोर्डेड रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीगण को उनकी भूमि खसरा संख्या 178, 177 में जाने से रोक दिया तथा धमकी दी कि हमारी कृषि भूमि मे से नहीं जाने देंगे पहले नया रास्ता बनाओ जिससे प्रार्थीया के आने जाने के लिए रास्ता मे बाधा हुई तथा राजस्व रेकार्ड नक्शे मे रास्ता दर्शित नही होने के कारण प्रार्थीया को कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है तथा अतः वाद कारण पैदा हुआ निरन्तर जारी है। प्रार्थीगण द्वारा पेश नजरी नक्शे मे दर्शित खसरा नम्बर 299 किस्म रास्ता सडक खसरा नम्बर 179 मे से सींव नाले के पास 18 फीट चौडा नया रास्ता चौडा रास्ता की व प्रस्तावित तौर पर खसरा संख्या 299 गै.मु. रास्ता से खसरा संख्या 180 सीव व नाले के पास से होते हुए 18 फीट चौडा रास्ता की तहसीलदार साहब किशनगढ मे सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट मंगवाकर प्रार्थीया को एक नया रास्ता देने की कृपा करावे और जांच रिपोर्ट नाप चौक मे जितनी भूमि रास्ते में आयी है उसका डी.एल.सी. रेट से अप्रार्थीया भुगतान करने को तैयार है और उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड नक्शे मे दर्ज करवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थीगण जमीन के बदले जमीन भी देने को तैयार है। प्रार्थीया के खसरा सं. 177 कुआ व 178 में आने जाने हेतु व कृषि यंत्र ले जाने हेतु खसरा संख्या 299 गै.मु. रास्ता पक्की सडक से खसरा संख्या 179 की सींव नाले के पास से 18 फीट चौडा रास्ता व प्रस्तावित तौर पर खसरा संख्या 299 गै.मु. रास्ता पक्की सडक से खसरा संख्या 180 की सींव नाले के पास रास्ता भूमि मे से 18 फुट रास्ते के लिये जाने वाली भूमि प्रार्थीगण डी.एल.सी. रेट से भुगतान करने को तैयार एवं तत्पर है। अप्रार्थी संख्या 11 से 19 खसरा संख्या 178 व 177 सह खातेदार है तथा यह नये रास्ता के लिये नया रास्ता प्राप्त करने मे उदासीन है इसलिये पक्षकार बनाया है यदि अदालत प्रार्थीगण को नया रास्ता देती है तो यह भी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करेंगे प्रार्थीगण ही डी.एल.सी. दर से भुगतान देंगे। अप्रार्थी संख्या 10 भूधारी होने के कारण पक्षकार प्रार्थना पत्र बनाया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम काढा स्थित खसरा संख्या 299 किस्म रास्ता पक्की सडक से प्रार्थीगण को अपने खसरा संख्या 177 कुआ व 178 में आने जाने के लिये कृषि विकास करने के लिये प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे मे दर्शित ए से बी नया रास्ता जो खसरा संख्या 179 की सींव नाले के पास 18 फीट चौडा रास्ता रिकोर्डेड प्रार्थीगण को देने की कृपा करावे या प्रस्तावित तौर पर नजरी नक्शे मे दर्शित सी से डी खसरा संख्या 180 की सींव नाले के पास 18 फुट चौडा रास्ता रिकार्डेड देने की कृपा करावे और श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा नाप चौक में आई भूमि डी.एल.सी. दर से रुपये प्रार्थिगण से अप्रार्थीगण को दिलाने की कृपा करावे और उक्त रास्ते को रेकोर्ड मे दर्ज कराने की कृपा करावे। अन्य अनुतोष जो अदालत को उचित लगे प्रार्थीगण को देने की कृपा करावे तथा तहसीलदार साहब किशनगढ से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शे मे ए से बी नया रास्ता व सी. से डी. नया रास्ता की विस्तृत रिपोर्ट मंगाकर प्रस्तावित एक नया रास्ता प्रार्थीगण को दिलाने की कृपा करावे और तहसीलदार साहब से विस्तृत रिपोर्ट मंगाने के प्रेषित पत्र के साथ प्रार्थीगण का नजरी नक्शा भी भेजने की कृपा करावे ताकि मौके की वास्तविक रिर्पोट प्राप्त हो सके ताकि जैसा अदालत उचित समझे प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर एक नया सुगम रास्ता प्रार्थीगण को जैसा अदालत उचित समझे देने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 25.07.2024 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 166/2024 पर दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 11.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 11,13,14,15,16 की ओर वकील श्री देवकरण गुर्जर उपस्थित होकर सहमति का जवाब पेश

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रिकार्डेड रास्ता दिलवाने कृपा करे। अप्रार्थी संख्या 09 की ओर से वकील श्री नारायण सैन उपस्थित हुये।

दिनांक 19.12.2024 को प्रार्थना पत्र में तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुये जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 178 रकबा 17.6362 हैक्टेयर में आवागमन हेतु कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आवागमन के लिये खसरा संख्या 179 में से रास्ता दिया जा सकता है जिसके लिये प्रस्तावित रकबा 0.1392 हैक्टेयर है तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर 5,90000 रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार दुगुनी निर्वापित राशि 1,64,256/– अक्षरे एक लाख चौसठ हजार दो सौ छप्पन रूपये मात्र बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई भी निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 24.12.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 से 08 की ओर से वकील श्री विजय पोषक उपस्थित हुये तथा जवाब पेश कर जाहिर किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 178 में आवागमन हेतु ग्राम बालापुरा से काढा जाने वाली पक्की सडक खसरा नं. 299 से पश्चिम दिशा में अवस्थित गैर मुमकिन चारागाह खसरा नं. 286 से होता हुआ आगे दक्षिण से उत्तर दिशा में अवस्थित खसरा नं. 285 व 197 से होता हुआ सैकडों वर्ष पुराना आवागमन उपयोग–उपभोग हेतु रास्ता अवस्थित है, उक्त रास्ते के दोनो तरफ पश्चिम व पूर्व में कच्ची मिट्टी की डोल लगी होकर डोल पर कांटो की बाड अवस्थित है बीच में सुविधाजनक रूप से रास्ता अवस्थित है जिसका प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 11 लगायत 19 तक उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है, प्रार्थीगण के अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु उक्त सैंकडो वर्ष पुराना रास्ता अवस्थित होने से कानूनन प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 की कृषि भूमि खसरा नं. 179 में से जहां पर बरसाती नाला अवस्थित है, नाले में से नया रास्ता कायम करवाने के अधिकारी ना होने तथा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को आपसी रंजिशवश तंग व परेशान करने की नियत से बखिलाफ कानून प्रस्तुत कर देने से प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है। प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति के पैरा संख्या 01 में अंकित आवागमन के सैंकडों वर्ष पुराने रास्ते के बदस्तुर अवस्थित होकर आज दिन उपयोग–उपभोग अधीन होने के बावजुद वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए अप्रार्थीगण / जवाबकर्तागण से रंजिश को लेकर वास्तविक तथ्य छिपाते हुए अप्रार्थीगण / जवाबकर्तागण की कृषि भूमि खसरा नं. 179 में सी.से डी. भाग में नजरी नक्शें में दर्शित स्थान जहां पर कि बहुत गहरा नाला दर्शित है में से नया रास्ता कायम करवाना चाहते है। कानूनन नाले में से नया रास्ते कायम करने का कोई कानूनी प्रावधान नही है तथा प्रार्थीगण वास्तविक तथ्यों के छिपाव के दोषी होने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया चलने योग्य न होने से निरस्तनीय है। धारा 251– (क) रा.का. अधिनियम में यदि किसी काश्तकार के पास पहले से ही अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु अगर कोई रास्ता उपलब्ध है तो पहले से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नही करवाया जा सकता है। उक्त वर्णितानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उक्त कानून के विरूद्ध प्रस्तुत होने से निरस्तनीय है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 178 में आवागमन हेतु ग्राम बालापुरा से काढा जाने वाली पक्की सडक खसरा नं. 299 से पश्चिम दिशा में अवस्थित गैर मुमकिन चारागाह खसरा नं. 286 से होता हुआ आगे दक्षिण से उत्तर दिशा में अवस्थित खसरा नं. 285 व 197 से रास्ता होता हुआ सैकडों वर्ष पुराना आवागमन उपयोग–उपभोग हेतु अवस्थित है, उक्त रास्ते के दोनो तरफ पश्चिम व पूर्व में कच्ची मिट्टी की डोल लगी होकर डोल पर कांटो की बाड अवस्थित है बीच में सुविधाजनक रूप से रास्ता अवस्थित है जिसका प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 11 लगायत 19 तक उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है, प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 178 में आवागमन हेतु सैंकडों वर्ष पुराना उपयोग–उपभोग अधीन रास्ता अवस्थित होने के बावजुद प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 तक की कृषि भूमि खसरा नं. 179 में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

पर सी से डी भाग में गहरा नाला अवस्थित है उसमें से नया रास्ता कायम करवाने हेतु बखिलाफ कानून उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 05 व 06 के कथन गलत, झूठे होने से अमान्य एंव अस्वीकार है। जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 04 में वर्णितानुसार खसरा नं. 286, 285, 197 से होता हुआ प्रार्थीगण की भूमि में आवागमन हेतु सैंकडो वर्ष पुराना रास्ता अवस्थित चला आ रहा है इस कारण से प्रार्थीगण द्वारा नया रास्ता कानूनन कायम नही करवाया जा सकता है, प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 08 के कथन गलत, झूठे होने से अमान्य व अस्वीकार है, अप्रार्थीगण के आवागमन हेतु खसरा नं. 286,285,197 में से होता हुआ सैंकडो वर्ष पुराना रास्ता अवस्थित है जिसका प्रार्थीगण आज दिन भी उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है, ऐसी सूरत में दिनांक 08.07.2024 को अप्रार्थीगण / जवाबकर्तागण द्वारा प्रार्थीगण को अपनी भूमि में से जाने से रोकने, धमकी देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि प्रार्थीगण के पास उक्त वर्णितानुसार सैंकडों वर्ष पुराना रास्ता अवस्थित है तो अप्रार्थीगण की भूमि से नया रास्ता कायम करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थीगण ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 09 व 10 के कथन गलत, झूठे होने से अमान्य एंव अस्वीकार है, प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 178 में आवागमन हेतु पक्की सडक खसरा नं. 299 के पश्चिम में स्थित खसरा नं. 286 से होता हुआ दक्षिण से उत्तर अवस्थित खसरा नं. 285, 197 से होता हुआ सैंकडो वर्ष पुराना रास्ता अवस्थित है जिसको जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में ए.से बी. के रूप में दर्शित किया गया है। उक्त रास्ता के होते हुए प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 179 में सी. से डी. भाग में स्थित गहरे नालें में से नया रास्ता कायम करवाने का कोई कानूनी अधिकार नही है, प्रार्थीगण ने बखिलाफ कानून गलत रूप से झूठे तथ्यों का अंकन कर आपसी रंजिशवश उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को तंग, परेशान हैरान करने की नियत से प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज है। उक्त वर्णितानुसार गलत, झूठे होने तथा प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि खसरा नं. 178 में आवागमन हेतु उक्त वर्णित सैकंडों वर्ष पुराना रास्ता आवागमन हेतु बदस्तुर आज दिन चले आने के बावजुद अप्रार्थीगण / जवाबकर्तागण को आपसी रंजिशवश तंग, परेशान, हैरान करने की नियत से अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 179 में जहां पर गहरा नाला अवस्थित है नया रास्ता कायम करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र बखिलाफ कानून प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है। विशेष कथनः– अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार साहब, किशनगढ से अप्रार्थीगण / जवाबकर्तागण द्वारा अंकित सैंकडों वर्षो से प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 178 में आवागमन हेतु आज दिन बदस्तुर चले आने वाले रास्ते की जो उक्त जवाब प्रार्थना पत्र में विस्तृत रूप से अंकित कर जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में दर्शाया गया है, उसकी मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है ताकि माननीय न्यायालय में वास्तविक तथ्य उजागर हो सके। अप्रार्थीगण के खसरा नं. 179 में अवस्थित नालें की भी मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि माननीय न्यायालय में वास्तविक तथ्य उजागर हो सकें। अतः श्रीमान की सेवा में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रारम्भिक आपित्तयों व विशेष कथन के प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बखिलाफ कानून होने से प्रथम दृष्टया चलने योग्य न होने से मय हर्जे खर्चे के साथ निरस्त करने की कृपा फरमावें।

दिनांक 24.12.2024 को अप्रार्थीया संख्या 17 श्रीमती प्रेम व अप्रार्थीया संख्या 18 श्रीमती पांची की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रारम्भिक आपत्तियों के प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थीगण एंव हम अप्रार्थीगण / जवाबकर्तीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 178 में आवागमन हेतु ग्राम बालापुरा से काढा जाने वाली पक्की सडक खसरा नं. 299 से पश्चिम दिशा में अवस्थित गैर मुमकिन चारागाह खसरा नं. 286 से होता हुआ आगे दक्षिण से उत्तर दिशा में अवस्थित खसरा नं. 285 व 197 से होता हुआ सैकडों वर्ष पुराना आवागमन उपयोग–उपभोग हेतु रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

स्थित है, उक्त रास्ते के दोनो तरफ पश्चिम व पूर्व में कच्ची मिट्टी की डोल लगी होकर [illegible] पर कांटो की बाड अवस्थित है बीच में सुविधाजनक रूप से रास्ता अवस्थित है जिसका प्रार्थीगण एंव हम अप्रार्थीगण/जवाबकर्तीगण उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है, प्रार्थीगण एंव हम जवाबकर्तीगण की कृषि भूमि में आवागमन हेतु उक्त सैंकडो वर्ष पुराना रास्ता अवस्थित होने से कानूनन प्रार्थीगण एंव हम जवाबकर्तीगण, अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 की कृषि भूमि खसरा नं. 179 में से जहां पर बरसाती नाला अवस्थित है, नाले में से नया रास्ता कायम करवाने के अधिकारी ना होने तथा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को आपसी रंजिशवश तंग व परेशान करने की नियत से बखिलाफ कानून प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कर देने से प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है। हम जवाबकर्तीगण, प्रार्थीगण के उक्त झूठे प्रार्थना पत्र से सहमत नहीं है तथा हम जवाबकर्तीगण खसरा नं. 179 में जहां पर नाला अवस्थित है उसमें से नया रास्ता कायम नही करवाना चाहती है, हमें रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे खेत खसरा नं. 178 में आवागमन हेतु उक्त रास्ता सैंकडों वर्ष पुराना अवस्थित चला आ रहा है जिसका हम उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है, हमारी सहमति बगैर प्रार्थीगण ने आपसी रंजिश से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 के विरूद्ध उक्त झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है। अप्रार्थीया संख्या 17 का खसरा नं. 178 में 3/16 हिस्सा एव अप्रार्थीया संख्या 18 का खसरा नं. 178 में 509/7957 वां हिस्सा संयुक्त कब्जे काश्त एव खातेदारी में प्रार्थीगण के साथ अवस्थित है यानि खसरा नं. 178 की भूमि प्रार्थीगण एंव हम जवाबकर्तीगण के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी में अवस्थित है तथा हमारे खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 178 में आवागमन हेतु चारागाह भूमि खसरा नं. 286 व खसरा नं. 285,197 में से होता हुआ उक्त वर्णितानुसार पुश्तैनी सैकडों वर्ष पुराना रास्ता जो आज दिन आवागमन हेतु बदस्तुर चला आ रहा है इस कारण से नया रास्ते की हमें कोई आवश्यकता नही है एंव नये रास्ते की आवश्यकता नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुर्भावनावश प्रस्तुत किया है जिसमें हम जवाबकर्तीगण सहमत नही है तथा उक्त प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। खसरा नं. 178 की कृषि भूमि में आवागमन हेतु अवस्थित सैंकडों वर्ष पुराने रास्ते को जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में ए. से. बी. के रूप में दर्शित किया गया है जो जवाब प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है, उक्त प्रारम्भिक आपत्तियों के मध्य नजर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बखिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4,5,6,7,8,9,10 के कथन प्रारम्भिक आपत्ति के पैरा संख्या 1,2,3 में वर्णितानुसार झूठे, गलत होने अमान्य एंव अस्वीकार है, प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण / जवाबकर्तीगण की भूमि खसरा नं. 178 में आवागामन हेतु ग्राम बालापुरा से ग्राम काढा जाने वाली पक्की सडक खसरा नं. 299 से पश्चिम दिशा में अवस्थित गैर मुमकिन चारागाह खसरा नं. 286 से होता हुआ दक्षिण से उत्तर दिशा में खसरा नं. 285, 197 से होता हुआ सैंकडों वर्ष पुराना आवागमन हेतु रास्ता अवस्थित है, उक्त रास्ते के रहते हुए अप्रार्थीगण/जवाकर्तीगण एंव प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 की भूमि खसरा नं. 179 में जहां पर पानी का नाला अवस्थित है में से नया रास्ता लेने की कोई आवश्यकता नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 11 के कथन गलत होने से अमान्य व अस्वीकार है, प्रार्थीगण, जवाबकर्तीगण की कृषि भूमि खसरा नं. 178 में आवागमन हेतु उक्त वर्णितानुसार सैंकडों वर्ष पुराना रास्ता अवस्थित होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 की भूमि में से हम नया रास्ता नहीं लेना चाहते है। इस कारण से प्रार्थीगण के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नही होने से हमनें झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से इन्कार करने के कारण प्रार्थीगण ने पैरा संख्या 11 में झूठे तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है क्योंकि हम झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नया रास्ता नही लेना चाहते है तथा कानून में पहले से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध होने की सूरत में नया रास्ता दिये जाने का प्रावधान भी नहीं है इस कारण से हमनें प्रार्थीगण के साथ उक्त झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है इस कारण से प्रार्थीगण ने हमारे विरूद्ध झूठा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

ा पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है। अतः श्रीमान की सेवा में जवाबकर्तीगण की से जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रारम्भिक आपत्तियों के प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का ना पत्र गलत, झूठा बखिलाफ कानूनी होने से मय हर्जे खर्चे के साथ खारिज फरमाया यें।

दनांक 13.01.2025 को वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट तहसीलदार किशनगढ से मंगवाये जाने पर बहस सुनी गई। उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया गया तथा वकील उभयपक्ष की मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 251(क) पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट मय जवाब के अवलोकन से ताईद है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ग्राम काढा स्थित खसरा संख्या 179 में वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 179 में आवागमन हेतु रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। ग्राम काढा स्थित खसरा संख्या 180 मन्दिर भूमि होने तथा खसरा संख्या 286 गै.मु. चारागाह प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने से रास्ता दिया जाना वैधानिक नहीं है। खसरा नम्बर 178 में आवागमन के लिये खसरा नम्बर 179 में से ही रास्ता निकटतम व लघुत्तम है। ग्राम काढा स्थित खसरा संख्या 179 में से रकबा 0.01392 हैक्टेयर स्वीकृत किये जाने की स्थिती में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 178 में आवागमन हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध हो जायेगा जो कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थी का विधिक अधिकार है। प्रार्थीगणो को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

आदेश

प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 की भूमि खसरा संख्या 179 ग्राम काढा में से प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 00.1392 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर 5,90000/– प्रति हैक्टेयर के अनुसार प्रस्तावित रास्ते दुगुनी निर्वापित राशि 1,64,256/– अक्षरे एक लाख चौसठ हजार दो सौ छप्पन रूपये मात्र होती है, जो प्रार्थी द्वारा, 88 राजस्व मण्डल 8443 सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.1392 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 1,64,256/– अक्षरे एक लाख चौसठ हजार दो सौ छप्पन रूपये तहसीलदार किशनगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त मुआवजा राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 7895 दिनांक 17.12.2024 के साथ संलग्न मौका पर्चा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.1392 हैक्टैयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16/1/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से क़म हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)